

प्रेस- विज्ञप्तिथाना कोतवाली

थाना कोतवाली व थाना सिधारी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 25000 हजार का इनामिया पशु चोर/वाहन चोर अभियुक्त व सहअभियुक्त घायल/गिरफ्तार

दिनांक 22.02.2023 को मुबारकपुर में हुई मुठभेड़ में फरार थे दोनो अभियुक्त

पूर्व की घटना:-

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 74/23 धारा 379 भादवि में चोरी गयी स्कार्पियो में प्रकाश में आये अभियुक्तगण मो. अकील उर्फ आकिब उर्फ आसिफ पुत्र निजामुद्दीन उर्फ भरतुल निवासी नत्थुपुर नटबस्ती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ व शकील उर्फ भीमा पुत्र मुमताज निवासी नत्थुपुर नटबस्ती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध विवेचना प्रचलित थी तथा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के मु०अ०सं० 81/2023 धारा 307,467,468,471 भादवि व 3/5ए/8 गो.वध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधि., 3/25 शस्त्र अधिनियम में अभियुक्तगण वांछित थे।

गिरफ्तारी विवरण:-

दिनांक 23.02.2023 को प्रातः प्र०नि० कोतवाली शशीचन्द्र चौधरी मय हमराहियान हाफिजपुर चौराहे पर प्र० चौकी सिविल लाइन्स उ.नि. श्री संजय तिवारी, व प्रभारी चौकी रोडवेज उ.नि. श्री मधूसूदन चौरसिया के साथ चेकिंग की जा रही थी कि जरिये डीसीआर, थानाध्यक्ष थाना सिधारी उ.नि. रुपेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि बैठौली तिराहे की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो बदमाश आ रहे थे कि दौराने चेकिंग हम पुलिस वालो पर बदमाशों द्वारा सीधे फायर करते हुये हाफिजपुर की तरफ भाग रहे है उनको रोकने व चेकिंग करने हेतु कि सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय हमराहीगण के साथ बैठौली पुलिया की तरफ जा रहा था कि बददोपुर के पास आ रहे मोटरसाइकिल सवार पुलिस की गाडी देखकर यू टर्न लेकर मोटरसाइकिल से भागने लगे कि उधर से आ रहे सिधारी थानाध्यक्ष की गाडी को देखकर पुनः मुडकर अपनी दाहिने पगडंडी रास्ता पकड कर भागना चाहे कि वहीं पगडंडी रास्ता पर मोटरसाइकिल से अनियन्त्रित होकर गिर गये।

मौके पर दोनो बदमाशों द्वारा पुलिस वालों पर जान मारने की नियत से फायरिंग किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग किये जिससे दोनों अभियुक्तगण पैर में गोली लगने से घायल हो गये, जिन्हें हिरासत में लेकर नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम मो. अकील उर्फ आकिब उर्फ आसिफ पुत्र निजामुद्दीन उर्फ भरतुल निवासी नत्थुपुर नटबस्ती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष बताया जो 25000 रुपये का इनामिया बदमाश है, तथा दूसरे ने अपना नाम शकील उर्फ भीमा पुत्र मुमताज निवासी नत्थुपुर नटबस्ती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष बताया।

जिन्हें दिनांक 23.2.23 को समय करीब 03.10 AM पर गिरफ्तार करते हुए जीवन रक्षा इलाज हेतु जिला सदर अस्पताल भेजा गया। उनके कब्जे से दो तमन्चा व कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 85/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली नगर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.मो. अकील उर्फ आकिब उर्फ आसिफ पुत्र निजामुद्दीन उर्फ भरतुल निवासी नत्थुपुर नटबस्ती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. शकील उर्फ भीमा पुत्र मुमताज निवासी नत्थुपुर नटबस्ती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास-1. मो. अकील उर्फ आकिब उर्फ आसिफ पुत्र निजामुद्दीन उर्फ भरतुल निवासी नत्थुपुर नटबस्ती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

1 मु.अ.सं. 0165/2022 धारा 323, 504, 506 भा दं सं 1860 जीयनपुर

2. मु.अ.सं. 0149/2018 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश जीयनपुर

3 मु.अ.सं. 0357/2018 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 जीयनपुर

4. मु.अ.सं. 0160/2018 धारा 3, 5, 8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश जीयनपुर

5. मु.अ.सं. 81/23 धारा 307//467/468/471 भादवि , 3/5A/8 गौ हत्या निवा० अधि०, 11 पशुओ के प्रति क्रूरता निवा० अधि०, 3/25 आयुध अधि० मुबारकपुर

6. मु.अ.सं. 74/23 379/411 भादवि कोतवाली

7 मु.अ.सं. 53/22 धारा 379 भादवि सिधारी

8. मु.अ.सं. 54/22 धारा 379 भादवि सिधारी

9. मु.अ.सं. 55/2023 धारा 401,411 भादवि देवगांव।

2. शकील उर्फ भीमा पुत्र मुमताज निवासी नत्थुपुर नटबस्ती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष

1 मु.अ.सं. 04/19 धारा 25, 4 आयुध अधिनियम, 1959 जीयनपुर

2. मु.अ.सं. 0079/2022 धारा 25, 3 आयुध अधिनियम, 1959 जीयनपुर
3. मु.अ.सं. 138/2020 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 जीयनपुर
- 4 मु.अ.सं. 230/2015 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 जीयनपुर
5. मु.अ.सं. 81/23 धारा 307,467,468,471 भादवि व 3/5ए/8 गो.वध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधि., 3/25 शस्त्र अधिनियम मुबारकपुर
6. मु.अ.सं. 53/22 धारा 379 भादवि सिधारी
7. मु.अ.सं. 54/22 धारा 379 भादवि सिधारी
- 8 मु.अ.सं.74/23 धारा 379/411 भादवि कोतवाली

### बरामदगी

- 02 तमन्चा 315 बोर  
 02 मिस कारतूस 315 बोर  
 01 खोखा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण -

1. प्रभारी निरीक्षक शशीचन्द्र चौधरी थाना कोतवाली नगर
2. थानाध्यक्ष सिधारी श्री रुपेश कुमार सिंह
3. उ.नि. श्री संजय तिवारी थाना कोतवाली
4. उ.नि. श्री मधूसूदन चौरसिया थाना कोतवाली
5. उ.नि. कमलनयन दूबे थाना सिधारी
5. हे.का. पंकज हलवाई थाना कोतवाली
6. का. विवेक शर्मा थाना कोतवाली
7. कां० एस कुमार थाना सिधारी
8. कां० बृजमोहन थाना सिधारी
9. हे० कां० अनिल कुमार पाठक थाना सिधारी

### थाना फूलपुर

#### 25 हजार का इनामिया पशु/वाहन चोर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, चोरी की स्कार्पियो, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

आज दिनांक 23.02.2023 मुखबीर सूचना मिला कि कल दिनांक 22.02.2023 को सुबह थाना मुबारकपुर में पुलिस के उपर फायरिंग कर स्कार्पियो से इनामी बदमाश भागे थे। वह कहीं भागने की फिराक में जा रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक फूलपुर मय फोर्स के साथ अब्दुल्लाह मुडियार के बागीचे में गाडा बन्दी कर इन्जार करने लगे कि कुछ की देर बाद एक स्कार्पियो आती हुई दिखायी दी। पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया कि तो गाडी को बाये खेताडी में लजकर कर दोनो कार सवार पुलिस पार्टी पर जान से मारने हेतु लक्ष्य बना कर फायर करने लगे। जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में गोली लगी जिसे घायल हो गया जिसको समय 10.46 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान वाकिफ पुत्र सलाम उर्फ कलाम सा० नियाउज थाना फूलपुर आजमगढ़ के रूप में हुयी गिरफ्तार अभियुक्त थाना देवगाँव से 25000 इनामिया है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

वाकिफ पुत्र सलाम उर्फ कलाम सा० नियाउज थाना फूलपुर आजमगढ़

### फरार अभियुक्त

हासीम उर्फ शेरू पुत्र मुस्ताक सा० नट बस्ती थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

### बरामदगी

- एक स्कार्पियो  
 एक 315 बोर कट्टा  
 तीन खोखा राउण्ड 315 बोर  
 एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 65/2015 धारा 379 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
- 2- मु०अ०सं० 255/2015 धारा 3/5/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 336 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़
- 3- मु०अ०सं० 147/2017 धारा 147,148,149,323,379,411,504, भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
- 4- मु०अ०सं० 362/2017 धारा 147,148,149,307,336,34 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़।
- 5- मु०अ०सं० 419/2017 धारा 336,379 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़।
- 6- मु०अ०सं० 58/2018 धारा 120बी,382,506 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़।
- 7- मु०अ०सं० 359/2017 धारा 307/504/506 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़।
- 8- मु०अ०सं० 22/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़।
- 9- मु०अ०सं० 62/2018 धारा 3/5ए/8 गो०नि०अधि० व 147,148,149,336,353 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़।

- 10- मु0अ0सं0 91/2022 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पषु क्रुरता अधिनियम थाना कन्धरापुर आजमगढ।
- 11- मु0अ0सं0 47/2022 धारा 379,411 थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।
- 12- मु0अ0सं0 148/2020 धारा 380 भादवि थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- 13- मु0अ0सं0 145/2020 धारा 147,336,380,411 भादवि थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- 14- मु0अ0सं0 146/2020 धारा 147,148,149,323,325,336,504,506 भादवि थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- 15- मु0अ0सं0 296/2020 धारा 3(1)गैंगेस्टर एक्ट थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- 16- मु0अ0सं0 144/2020 धारा 147,336,379,411 भादवि थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- 17- मु0अ0सं0 53/2020 धारा 382 भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर।
- 18- मु0अ0सं0 33/2020 धारा 147,323,379,506,511 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
- 19- मु0अ0सं0 26/2020 धारा 41,411 भादवि थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।
- 20- मु0अ0सं0 27/2020 धारा 307 भादवि थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।
- 21- मु0अ0सं0 449/2020 धारा 3(1)गैंगेस्टर एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।
- 22- मु0अ0सं0 77/23 धारा 307,411,420,473,भादवि व 3/25 आम्स एक्ट

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

- 1-प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह
- 2-उ0नि0 श्री विपिन सिंह
- 3-हे0का0 परवेज अख्तर
- 4-का0 अरबिन्द तिवारी
- 5-का0 इरफान अहमद
- 6-का विनोद यादव
- 7-का0 आलोक सिंह